सत्र समीक्षा

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का नवम् सत्र

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का नवम् सत्र बुधवार, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् ....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 2 नवम्बर, 2012 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
नवम् सत्र	3	अक्टूबर माह - 10, 11 एवं 12

सदस्य का निलम्बन समाप्त

नवम् सत्र में दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 'अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा खींवसर, नागौर से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल को कतिपय माननीय सदस्यों के अपमान व अवमानना के फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया गया था। इस सदन की उच्च गौरवशाली परम्परा रही है। फिर भी विगत में अनेक अवसर ऐसे आये हैं जब सदन में अनुशासन बनाये रखने एवं प्रक्रिया नियमों की पालना हेतु सदस्यों को निलम्बित करने सम्बन्धी कठोर निर्णय इस सदन द्वारा लिये गये हैं। लेकिन इसके साथ ही पक्ष और प्रतिपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करें तथा इस सदन की गौरवशाली परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे, इस हेतु पूर्व में सदन के नेता अथवा प्रतिपक्ष के नेता अथवा सम्बन्धित माननीय सदस्य की ओर से खेद प्रकट करने पर निलम्बन काल की अवधि को समाप्त किया गया है। अतः पूर्व परम्पराओं को दोहराते हुए मैं, यह प्रस्ताव सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ कि माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल के अब तक के निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये।'

सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 89 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 1557 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। रद्द होने के पश्चात् शेष 1536 प्रश्नों पर विचार किया गया। इनमें से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 564 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 50 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये। 37 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 7 माननीय

सदस्यों ने 9-9, 5 सदस्यों ने 8-8 तथा शेष 26 सदस्यों ने 7 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती अन्जू खन्गवाल श्रीमती संजना आगरी तथा श्रीमती किरण माहेश्वरी ने सर्वाधिक 10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 3 प्रश्न श्री भगवान सहाय सैनी तथा 2-2 प्रश्न महिला सदस्य श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी सहित कुल 17 सदस्यों के थे।

उक्त के अतिरिक्त 972 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 55 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। 23 सदस्यों ने अधिकतम 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी ने सर्वाधिक 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये। इस प्रकार चार सदस्यों ने 19-19, पाँच सदस्यों ने 18-18 तथा शेष सदस्यों ने 17 या इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में से सर्वाधिक 4 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी के सूचीबद्ध हुए ।

प्राप्त प्रश्नों के विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 58 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 40 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 39-39 शिक्षा तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा 32-32 सार्वजनिक निर्माण एवं गृह विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 5 प्रश्न शिक्षा विभाग, 4 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 3-3 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण एवं खान विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 88 प्रश्न शिक्षा विभाग, 86 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 76 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 53 प्रश्न नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 7 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 6 प्रश्न शिक्षा विभाग तथा 4 प्रश्न नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाये तो नवें सत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये 751 अतारांकित प्रश्नों में से 41 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 147 में से 10, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 54 में से 2 तथा निर्दलीय सदस्यों के 20 में से 2 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसी प्रकार तारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये 436 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 78 में से 8, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 30 में से 5 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। जबकि निर्दलीयों के 20 में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 56 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 96 अतारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 508 तारांकित प्रश्नों में से 45 तथा 876 अतारांकित प्रश्नों में से 44 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 41 तारांकित प्रश्नों में से 5 तथा 80 अतारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 5 तारांकित प्रश्नों में से कोई प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ तथा 16 अतारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्न सूचीबद्ध

हुए।

दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को अनुपस्थित सदस्यों को छोड़कर सभी मुद्रित प्रश्नों का उत्तर मंत्रीगणों द्वारा दिये जाने के फलस्वरूप सदन की बैठक मध्याह्न पूर्व 11:52 बजे 15 मिनिट के लिए स्थगित की गई। सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

स्थगन प्रस्ताव

नवम् सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 33 माननीय सदस्यों के 44 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से श्री पवन दुग्गल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर राजस्व एवं उप निवेशन मंत्री श्री हेमाराम चौधरी द्वारा अभियुक्ति दी गई । स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 30 सदस्यों ने 38 प्रस्ताव तथा माकपा के 3 सदस्यों ने 6 प्रस्ताव प्रस्तुत किये । 3 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी 4 प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये । 11 सदस्यों ने 2-2 प्रस्ताव तथा शेष ने एक-एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जबकि महिलाओं में सर्वाधिक 2 प्रस्ताव श्रीमती अनिता भदेल ने प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 को 12 माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं । सभी सूचनाओं को सदन में पढ़ा हुआ माना गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य कर्नल सोनाराम तथा भारतीय जनता पार्टी के 11 सदस्यों ने एक-एक सूचना प्रस्तुत की । प्रस्तुत सूचनाओं में से महिला सदस्यों श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास तथा श्रीमती कमला कस्वां द्वारा एक-एक सूचना प्रस्तुत की गई।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को माननीय सदस्य सर्वश्री पेमाराम, अमरा राम तथा प्रतापसिंह खाचरियावास को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के तीन विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई। इन पर क्रमशः ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री श्री हरजीराम बुरडक तथा नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल द्वारा अभियुक्ति दी गई । माकपा के दो तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सदस्य ने एक-एक विषय सदन में उठाया।

सदन में अव्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 को प्रतिपक्ष द्वारा राज्य में बिजली की स्थिति पर प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुऐ सदन के वैल में आकर धरना दिया तथा लागातर नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई। सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई।

2. दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 को प्रतिपक्ष द्वारा कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर आपत्ति प्रकट करते हुए प्रतिवेदन पर माननीय अध्यक्ष के वैश्म में मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे रखी गई कार्य सलाहकार समिति की बैठक में सदन में अग्रेत्तर लिए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किये जाने के पश्चात् सदन में प्रस्तुत किये जाने की मांग करते हुए सदन के वैल में नारेबाजी की गई, जिससे सदन में घोर अव्यवस्था व व्यवधान हुआ। सदन की बैठक पहले एक घण्टे तथा बाद में आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 को श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पर गठित प्रवर समिति ने समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर सदन द्वारा सहमति प्रकट की गई।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

नवम् सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 25, राजकीय उपक्रम समिति के 11, महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति एवं कार्य सलाहकार समिति के 2-2, तथा प्राक्कलन समिति 'ख' का एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान तथा अतिरेक मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

नवम् सत्र में दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 को श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने वर्ष 2012-13 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2008-09 का उपस्थापन किया जिसे आसन द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

विधायी कार्य

(क) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये-

1. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 2)
2. कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 3)
3. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 4)
4. मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 5)

5. बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 6)
6. शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 7)
7. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 8)
8. राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 9)
9. सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 10)
10. हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 11)

(ख) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
24/2012	राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012	26.04.2012	12.10.2012	12.10.2012
27/2012	राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012	12.10.2012	12.10.2012	12.10.2012
28/2012	राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012	12.10.2012	12.10.2012	12.10.2012
29/2012	मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012	10.10.2012	11.10.2012	11.10.2012
30/2012	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012	10.10.2012	11.10.2012	11.10.2012
31/2012	बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012	10.10.2012	11.10.2012	11.10.2012
32/2012	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012	10.10.2012	11.10.2012	11.10.2012
33/2012	शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012	10.10.2012	11.10.2012	11.10.2012

34/2012	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012	10.10.2012	11.10.2012	11.10.2012
35/2012	राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012	10.10.2012	11.10.2012	11.10.2012
36/2012	राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012	10.10.2012	12.10.2012	12.10.2012
37/2012	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012	10.10.2012	11.10.2012	11.10.2012
38/2012	कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012	10.10.2012	11.10.2012	11.10.2012

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य नवम् सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
	[10.10.2012]	
1. श्री नवल किशोर शर्मा	पूर्व राज्यपाल, गुजरात; पूर्व सांसद एवं सदस्य, ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा	08.10.2012
2. श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी	पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एवं ओडिशा	06.10.2012
3. श्री केदारनाथ साहनी	पूर्व राज्यपाल, सिक्किम एवं गोवा	03.10.2012
4. श्री विलासराव देशमुख	पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	14.08.2012
5. श्री भंवर सिंह डांगावास	पूर्व सांसद, लोक सभा एवं सदस्य दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा	02.07.2012
6. श्री मोहनलाल बारूपाल	सदस्य, आठवीं, नवीं, दसवीं व ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा	12.08.2012
7. श्री यशवन्त सिंह 'रामू'	सदस्य, ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा	22.05.2012
8. श्री मान्धाता सिंह	सदस्य, नवीं राजस्थान विधान सभा	27.09.2012
9. श्री विष्णु प्रकाश बजारी	सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा	13.06.2012
10. श्री इन्द्रसिंह शेखावत	सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा	18.05.2012
11. आंध्र प्रदेश रेल हादसे के मृतकों के प्रति संवेदना		30.07.2012
	[11.10.2012]	
12. श्री रामनारायण विश्नोई	पूर्व उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नौवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं राजस्थान विधान सभा	10.10.2012

✧✧✧